



सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा० कुलपति जी के आदेश दि० 30.05.2017 के अनुपालन में मीरा मेमोरियल महिला महाविद्यालय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पाण्डेयपुर, बलिया (पूर्व संचालित) को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के समस्त मानकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
2. संस्था/महाविद्यालय द्वारा संदर्भगत पाठ्यक्रमों में कार्यरत एवं अनुमोदित शिक्षकों का डाटा विश्वविद्यालय के पोर्टल एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर एक माह के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 एवं परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के अस्तित्व पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। तथा कार्य शिक्षकों से ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
7. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली एवं अध्यादेश तथा सुसंगत शासनादेशों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16 (20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

(संजय कुमार)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।